FROM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत .... मुकाम ....

मोहनलाल .... बनाम .... शोभाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा.वाद अंतर्गत धारा 88,188 रा.का.अ. .... नं. 201 .... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/12/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/12/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
30/12/2019	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-2 से 5 के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से पधारे हुए है अतः मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/01/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
14/01/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री नरपत गोदारा (?) द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 से 5 बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई प्रतिवादी संख्या-2 से 5 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा प्रतिवादी संख्या-2 से 5 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में pw-1-वादी संख्या-1 स्वयं मोहनलाल पुत्र शोभाराम जाति-जाट निवासी ... की नाडी पटवार हल्का-माडपुरा बरवाला (?) ... (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	मोहनलाल शोभाराम (अंगूठा निशानी) पप्पाराम (?)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:15:36 IST
Reason: SelfAttested

व स्वतंत्र गवाह PW-2 भजाराम पुत्र ... जाति मुसलमान निवासी- माडपुरा बरवाला तहसील- बायतु तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं DW-1 ओमाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी- रामसरों की ढाणी पनावड़ा माडपुरा बरवाला तहसील- बायतु के शपथ-पत्र पेश किये गये जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। अत: वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 03/03/2020 को पेश हो।

विवेक व्यास
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

03/03/2020

पत्रावली फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड तथा प्रतिवादी संख्या-1 के द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाबदावा एवम् प्रथम खतौनी का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त विवादित भूमि पैतृक साबित होती है। अत: वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास
3.3.2020
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

16/06/2020

वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 CPC मय पत्रावली तलब करने का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त वाद के निर्णय लिखते समय खातेदारों के मूल खसरा नम्बरों का अंकन कर दिया गया था जबकि वर्तमान में जमाबन्दी में नया नम्बरों के खसरों का अंकन किया गया है इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर संशोधित निर्णय व डिग्री पर्चा जारी किया जावे।

अत: वादी वकील के निवेदन पर वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित निर्णय व डिग्री पर्चा अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पुन: दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:15:36 IST
Reason: SelfAttested

.यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 201/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोहनलाल पुत्र शोभाराम 2. भूराराम पुत्र शोभाराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–दुर्गोणियों का तला, लुनाड़ा, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. शोभाराम पुत्र हीराराम 2. मोटाराम पुत्र गेनाराम 3. रतनाराम पुत्र गेनाराम 4. तीजों पत्नी गेनाराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–सियागों की ढाणी, माडपुरा बरवाला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर 5. शाखा प्रबन्धक, बी.सी.सी.बी. बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री नरपत पूनड़ वकील प्रतिवादी

–: निर्णय :– दिनांक : 3.3.2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा सियागों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 667 रकबा 76.12 बीघा, मौजा सियागों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 730, 764/731 रकबा क्रमशः 00.14, 35.06 बीघा व मौजा माडपुरा बरवाला पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला के खेत खसरा नम्बर 735, 779, 781, 879/782, 881/782 रकबा क्रमशः 99.15, 31.13, 00.13, 04.12, 45.17 बीघा की आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही पूर्वज हीराराम के वंशज है। तथा प्रतिवादी वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:15:36 IST
Reason: SelfAttested

3.3.2020

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह ..र, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में ..गण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण हीराराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा सियागों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 667 रकबा 76.12 बीघा, मौजा सियागों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 730, 764/731 रकबा क्रमशः 00.14, 35.06 बीघा व मौजा माडपुरा बरवाला पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला के खेत खसरा नम्बर 735, 779, 781, 879/782, 881/782 रकबा क्रमशः 99.15, 31.13, 00.13, 04.12, 45.17 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर (SDO)

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 3.3.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विवेक व्यास
3.3.2020

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:15:36 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोहनलाल पुत्र शोभाराम 2. भूराराम पुत्र शोभाराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–दुर्गोणियों का तला, लुनाड़ा, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. शोभाराम पुत्र हीराराम 2. मोटाराम पुत्र गेनाराम 3. रतनाराम पुत्र गेनाराम 4. तीजों पत्नी गेनाराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–सियागों की ढाणी, माडपुरा बरवाला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर 5. शाखा प्रबन्धक, बी.सी.सी.बी. बायतु

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–201/2019. **निर्णय दिनांक :–**

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03/03/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा सियागों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 667 रकबा 76.12 बीघा, मौजा सियागों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 730, 764/731 रकबा क्रमशः 00.14, 35.06 बीघा व मौजा माडपुरा बरवाला पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला के खेत खसरा नम्बर 735, 779, 781, 879/782, 881/782 रकबा क्रमशः 99.15, 31.13, 00.13, 04.12, 45.17 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगी। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 03/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विवेक व्यास) 3.3.2020
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:15:36 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोहनलाल पुत्र शोभाराम 2. भूराराम पुत्र शोभाराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–सियागों की ढाणी, माडपुरा बरवाला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. शोभाराम पुत्र हीराराम 2. मोटाराम पुत्र गेनाराम 3. रतनाराम पुत्र गेनाराम 4. तीजों पत्नी गेनाराम जातियान्– 5. जाट, निवासीयान्–सियागों की ढाणी, माडपुरा बरवाला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर 6. शाखा प्रबन्धक, बी.सी.सी.बी. बायतु

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–201/2019. **निर्णय दिनांक :–** 16/6/2020

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16/6/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा सियागों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 667, 787/667, 788/667 रकबा क्रमशः 57.07, 01.15, 17.10 बीघा, मौजा सियागों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 730, 764/731 रकबा क्रमशः 00.14, 35.06 बीघा व मौजा माडपुरा बरवाला पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला के खेत खसरा नम्बर 735, 1036/735, 1037/735, 779, 781, 879/782, 881/782 रकबा क्रमशः 73.14, 00.07, 26.01, 13.13, 00.13, 04.12, 45.17 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगी। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16/6/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:15:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण हीराराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा सियागों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 667, 787/667, 788/667 रकबा क्रमशः 57.07, 01.15, 17.10 बीघा, मौजा सियागों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 730, 764/731 रकबा क्रमशः 00.14, 35.06 बीघा व मौजा माडपुरा बरवाला पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला के खेत खसरा नम्बर 735, 1036/735, 1037/735, 779, 781, 879/782, 881/782 रकबा क्रमशः 73.14, 00.07, 26.01, 13.13, 00.13, 04.12, 45.17 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 16/6/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:15:36 IST
Reason: SelfAttested

ायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 201/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोहनलाल पुत्र शोभाराम 2. भूराराम पुत्र शोभाराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–सियागों की ढाणी, माडपुरा बरवाला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		6. शोभाराम पुत्र हीराराम 7. मोटाराम पुत्र गेनाराम 8. रतनाराम पुत्र गेनाराम 9. तीजों पत्नी गेनाराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–सियागों की ढाणी, माडपुरा बरवाला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर 10. शाखा प्रबन्धक, बी.सी.सी.बी. बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री नरपत पूनड़ वकील प्रतिवादी

–: संशोधित निर्णय :– दिनांक : 16/6/2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा सियागों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 667, 787/667, 788/667 रकबा क्रमशः 57.07, 01.15, 17.10 बीघा, मौजा सियागों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 730, 764/731 रकबा क्रमशः 00.14, 35.06 बीघा व मौजा माडपुरा बरवाला पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला के खेत खसरा नम्बर 735, 1036/735, 1037/735, 779, 781, 879/782, 881/782 रकबा क्रमशः 73.14, 00.07, 26.01, 13.13, 00.13, 04.12, 45.17 बीघा की आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही पूर्वज हीराराम के वंशज है तथा प्रतिवादी वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो [illegible] अतः वादग्रस्त भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:15:36 IST
Reason: SelfAttested